न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 66/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1.भोमसिंह पुत्र जुहारसिंह जाति राजपुत 2.कानसिंह पुत्र जुहारसिंह जाति राजपुत निवासी बीजापुर तह.बाली		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1598 दिनांक 14.03.2011 जो नायब तहसीलदार,बाली द्वारा पारित किया गया।

–: निर्णयः–

उपस्थिति : वकील अपीलांट उपस्थित

दिनांकः 15.01.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री भोमसिंह, कानसिंह पुत्र जुहारसिंह ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1598 दिनांक 14 मार्च 2011 को निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत की। अपीलांट के अनुसार ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा न. 1009/2927 रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम भूमि का तारीख 30 दिसम्बर 2010 को आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा नियमन किया गया था, उसमें अपीलांट की खातेदारी में आ जाने वाले रास्ते को भी आवंटन में सम्मिलित कर दिया। उसी समय अपीलांट द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी,बाली को प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि खसरा न. 1009/2927 में से 0.05 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु छोड़ा जाना जरुरी है क्योंकि इसका उपयोग अपीलांट द्वारा आवंटन सुदा भूमि के पीछे की तरफ स्थित अपीलांट की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु किया जाता है। जांच उपरांत उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 24.01.2011 को तहसीलदार,बाली व पटवारी हल्का,बीजापुर को आदेश जारी कर खसरा न. 1009/2927 रकबा 0.79 हैक्टेयर में से रकबा 0.74 हैक्टयेर आवंटी के नाम कब्जा होने से नियमन होना व शेष रकबा रास्ते के रुप में उपयोग में लिया जाना जाहिर किया। सेवन से उक्त खसरें का सम्पूर्ण रकबा 0.79 हैक्टेयर आवंटन नियमन में सम्मिलित किया गया। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि नियमित प्रकरण के सलंग्न प्रस्तुत नक्शे के अनुसार खसरें के दोनों और रास्ते के रुप में उपयोग में आ रही भूमि रकबा 0.05 हैक्टेयर छोड़कर शेष रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि आवंटी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें, एवं तदनुसार नक्शें में तरमीम की जावें।

उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का, बीजापुर ने नामांतरकरण भरा जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक ने तारीख 03 फरवरी 2011 को कीं, एव नायब तहसीलदार,बाली ने उक्त नामातंरकरण को तारीख 14 मार्च, 2011 को स्वीकृत किया इस नामांतरकरण में उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2011 के अनुसार नामांतरकरण नहीं भरकर गलत भर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट की ओर से यह अपील पर प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट तहसीलदार,बाली को नोटीस जारी किया गया। तहसीलदार,बाली द्वारा अपने प्रत्युतर में निवेदन किया कि तत्कालिन हल्का,पटवारी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1598 द्वारा खसरा न. 1009/2927 में से 0.74 हैक्टेयर भूमि दाखु कंवर पत्नी जयसिंह कौम राजपुत के नाम दर्ज कर शेष रकबा 0.05 हैक्टेयर को यथावत राजकीय सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि आदेश अनुसार शेष रकबें से खसरें के दोनों तरफ रास्ते के रुप में दर्ज किया जाना था जो आदेश के विरुद्ध था।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर का गहनता से अवलोकन किया और यह पाया है कि नामांतरकरण संख्या 1598 आदेशनुसार नहीं भरा गया है। अतः अपील

P.T.O.

CamScanner

अपीलांट स्वीकार करते हूए नामांतरकरण संख्या 1598 दिनांक 14 मार्च, 2011 को निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार,बाली को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि नामांतरकरण संख्या 1598 दिनांक 14.03.2011 को निरस्त कर उपखंण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार नामांतरकरण पुनः दर्ज करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु निर्णय भिजवाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

15/1/23

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

बाली, जिला पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली